न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 07/2013

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
महेन्द्रकुमार पुत्र स्व. उमाशंकर जाति ब्राह्मण निवासी गोल तहसील व जिला सिरोही (राजस्थान)		सुशीला पुत्री स्व. उमाशंकर पत्नी किशोरजी जाति त्रिवेदी ब्राह्मण निवासी गोल तहसील व जिला सिरोही (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–
श्री सुरेशकुमार शाह, विद्वान अभिभाषक अपीलांट
श्री अश्विन मरडिया, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक 31/5/18

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में तहत सहायक कलेक्टर, सिरोही के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 173/2012 बअनवान महेन्द्रकुमार बनाम सुशीला में पारित निर्णय दिनांक 04.01.2013 के विरुद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट जरिये सम्मन मय अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम गोल के (अ) खाता संख्या 17 पुराने खाता संख्या 263 के खसरा नम्बर 1135, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1222, 1223 कुल 12 खसरान का कुल रकबा 13.8700 हैक्टर (ब) खाता संख्या 127 पुराने खाता संख्या 155 के खसरा नम्बर 1633 रकबा 0.1.6200 हैक्टर (स) खाता संख्या 261 पुराने खाता संख्या 201 के खसरा नम्बर 780, 781, 782, 829, 830, 831 कुल 6 खसरान के कुल रकबा 05.3800 हैक्टर (द) खाता संख्या 128 पुराने खाता संख्या 154 के खसरा नम्बर 1669, 1671, 1672 कुल 3 खसरान के कुल रकबा 1.8000 हैक्टर स्थित है। उक्त खाता संख्या (अ)(ब)(स)(द) में वर्णित खातों की कृषि भूमि में स्व. उमाशंकरजी का क्रमशः 1/2, 1/7, 1/3, व 1/4 खातेदारी हक हिस्सा बतौर खातेदार राजस्व रेकार्ड में दर्ज था। खातेदार के स्वर्गोपरान्त उक्त भूमि का नामान्तरकरण केवल रेस्पोडेन्ट के नाम ही भरा गया जबकि

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपीलांट का भी आधे हिस्से में नाम दर्ज किया जाना चाहिए था, क्योंकि स्व. उमाशंकरजी ने अपने जीवित काल में ही अपीलांट के पक्ष में गोदनामा, व वसीयतनामा निष्पादित किया था। रेस्पोडेन्ट स्वयं ने भी मृतक उमाशंकर के निधन हो के पश्चात सहमति पत्र इकरारनामा के जरिये गोदपुत्र होना मानकर अपने हस्ताक्षर किये थे। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट को रेकार्डड खातेदार मानते हुए अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्त.अधिनियम के तहत खातेदार नहीं मानते हुए का खारीज कर दिया जो विधि विरुद्ध है। अपीलांट मृतक उमाशंकर का भतीज है, जिसे उमाशंकर ने अपने जीवनकाल में गोद लिया था। वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का ही कब्जा काश्त रहा है। रेस्पोडेन्ट शादी के पश्चात से महाराष्ट्र में रह रही है, जिसका कभी भी कब्जा नहीं रहा। जैर अपील वादस्थ भूमि पर खेती का कार्य अपीलांट ही करता आ रहा है। मृतक खातेदार उमाशंकरजी के द्वारा गोदनामा, वसीयतनामा अपीलांट के पक्ष में लिखा गया गोदनामा रजिस्ट्रर्ड नहीं है। नामान्तरकरण केवल रेस्पोडेन्ट के नाम ही भरा गया जबकि रेस्पोडेन्ट ने अपनी सहमति पत्र, इकरारनामा के जरिये लिखा कि कृषि भूमि का नामान्तरकरण होने के पश्चात आधी भूमि का हिस्सा अपीलांट के पक्ष में करवा देगें, लेकिन यह नहीं किया गया। स्व. उमाशंकरजी ने सामाजिक रिति रिवाज से अपीलांट को गोद लिया था। माननीय सिविल न्यायालय में गोदनामा घोषणा का वाद विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट के द्वारा सहमति पत्र, इकरारनामा पर कोई गौर नही किया तथा बिना जांच सुनवाई के प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट अधिवक्ता के कथनों का विरोध प्रकट करते हुए जाहिर किया कि अपीलांट को स्व. उमाशंकरजी के द्वारा कभी भी गोद नहीं लिया। गोदनामा दिनांक 16.08.2010 को आधार मानते हुए यह अपील प्रस्तुत की है। पत्रावली पर कोई गोदनामा नहीं है। वयस्क/बालबच्चेदार व्यक्ति को क्या गोद लिया जा सकता है ? अपीलांट द्वारा गोदनामा, वसीयतनामा आदि फर्जी कुटरचित दस्तावेज बनाकर यह दावा पेश किया है। गोदीपुत्र के आधार पर घोषणा दावा लाये है। माननीय जिला न्यायालय में गोदनामा का दावा विचाराधीन है। गोदनामा दिनांक 16.08.2010 का दस्तावेज फर्जी जो एक साधारण पेपर पर लिखा गया है, hindu adopation maintence की परिधि में तो आना चाहिए। स्व. उमाशंकरजी ने अपीलांट को सामाजिक रिति रिवाज से कभी भी गोद नहीं लिया है। मृतक खातेदार के एकमात्र रेस्पोडेन्ट ही विधिक उत्तराधिकारी होने से खातेदारी का नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही करते हुए आदेश पारित किया है। लिहाजा अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारीज की जावे।

दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया पत्रावली तथा उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। दोनों पक्षों ने यह स्वीकार किया कि गोदनामा का घोषणा का दावा माननीय सक्षम न्यायालय में विचाराधीन होने का कथन किया है। गोद पुत्र है या नहीं तथा गोदनामा, वसीयतनामा कूटरचित है या नहीं ? इसे तय करने का अधिकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्व न्यायालय को नहीं होकर माननीय सक्षम न्यायालय को है, वे ही इसे तय करती है। प्रस्तुत मामले में अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए एवं विचारणीय बिन्दु तय करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

परिणामतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ प्राप्त रेकार्ड लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 31.5.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही